# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

**आपराधिक पुनरीक्षण सं0–54 वर्ष 2017**

सदानंद सिंह, पे0 परसादी सिंह, निवासी ग्राम–बहिमार, डाकघर एवं थाना–कटकमसांडी, जिला–हजारीबाग (झारखण्ड) ..... ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सुरेन्द्र तिवारी, अ0स0–4, वाद के सूचक, पे0 राम कृपाल तिवारी, निवासी ग्राम–महौली, डाकघर एवं थाना–सिंधॉलिया, जिला–गोपालगंज (बिहार)

..... ..... विपक्षीगण

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अवनीश रंजन मिश्रा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्री संजय कुमार सं0–2,, ए0पी0पी0।

02 / 10.04.2017 श्री अवनीश रंजन मिश्रा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री संजय कुमार सं0–2, राज्य के तरफ से उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

यह आवेदन एस0टी0 वाद संख्या 607 / 2006 में विद्वान जिला और अअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश–XIV, हजारीबाग द्वारा दिनांक 06.12.2016 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा और जिसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311

के साथ पठित धारा 231 के तहेत याचिकाकर्ता द्वारा दायर किये गये आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि बचाव पक्ष को पहचान के बिन्दु पर पी0डब्ल्यू0–4 से प्रतिपरीक्षा करने का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान, केस डायरी में यह आया है कि सूचक ने याचिकाकर्ता की पहचान करने से इनकार कर दिया था। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि मामले के एक न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए पी0डब्ल्यू0–4 की प्रतिपरीक्षा आवश्यक है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ अदालत दंड पक्रिया संहिता की धारा 311 के साथ पठित धारा 231 के तहत याची द्वारा दायर इस आवेदन को स्वीकार करने के लिए बाध्य थी।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0 ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मामला आरम्भ में वर्ष 2006 में संस्थित किया गया था। पी0डब्ल्यू0–4 सुरेन्द्र तिवारी मामले के स्टार साक्षी प्रतीत होते हैं, जिनका परीक्षण 19 नवम्बर, 2010 को किया गया और प्रतिरक्षा के पास साक्षी का प्रतिपरीक्ष्ज्ञण करने का पूरा अवसर था। दिनांक 05.12.2013 को, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के साथ पठित धारा 231 के तहत एक आवेदन याची द्वारा पहचान के बिंदु पर पी0डब्ल्यू0–4 की प्रतिपरीक्षा आगे करने के लिए दाखिल किया गया था। यह भी प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता कास एकमात्र उद्देश्य मुकदमे के निपटान में देरी करना है। याचिकाकर्ता

द्वारा दायर आवेदन के कारण मुकदमे में विलंब हुआ है और अधीनस्थ अदालत ने 22.11. 2013 को ही आरोपी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए थे। बचाव पक्ष के पास पी0डब्ल्यू0–4 की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पर्याप्त अवसर था, परन्तु तीन वर्ष के बाद पहचान के बिंदु पर पी0डब्ल्यू0–4 की प्रतिपरीक्षा आगे करने के लिए आवेदन दायर करना याचिकाकर्ता द्वारा मामले के निपटान में देरी करने के लिए ठोस प्रसास किया गया प्रतीत होता है।

विद्वान अधीनस्थ अदालत ने उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद याची द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया है और 06.12.201 दिनांकित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं होने के कारण, यह आवेदन एतद् द्वारा, खारिज किया जाता है।

चूंकि मुकदमा लगभग एक दशक से लंबित है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ अदालत को मुकदमें को पूरा करने और अधिमानतः इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द निर्णय देने का निर्देश दिया जाता है।

इस आदेश की प्रति 'फैक्स' के माध्यम से संबंधित अधीनस्थ अदालत को तुरंत भेजा जाए।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)